न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:— 29 / 2025 तारीख रजू :— 13.05.2025

पीठासीन अधिकारी :— श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

1. गील्या पुत्र किशनलाल जाति मीना, निवासी अनंतपुरा तह टोडाभीम जिला करौली राज0

प्रार्थी

बनाम

1. सुरज्ञान पुत्र रंगलाल
2. हरिमोहन पुत्र रंगलाल
3. टीकाराम पुत्र रामस्वरूप

} जाति मीना, निवासी अनतपुरा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1 श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री रमेश चन्द्र सैनी एडवोकेट अप्रार्थी

निर्णय दिनांक—28.01.26

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या 11 सम्वत 2075—2078 ख.नं0 694 रकवा 0.18 है0, ख0नं0 697 रकवा 0.05 है0, ख0नं0 722 रकवा 0.24 है0, ख0नं0 742 हरकवा 0.38 है0, ख0नं0 752 रकवा 0.18 है0, ख0नं0 753 रकवा 0.10 है0, ख0नं0 757 रकवा 0.14 है0, गैर मु0 कुआ ख0नं0 766 रकवा 0.14 है0, ख0नं0 775 रकवा 0.05 है0, ख0नं0 776 रकवा 0.50 है0, ख0नं0 776 / 1010 रकवा 0.07 है0, ख0नं0 779 रकवा 0.07 है0 गैर मु0 रास्ता, ख0नं0 783 रकवा 0.25 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.35 है0 ग्राम अनन्तपुरा पं0 हं0 भजेडा में तह0 टोडाभीम जिला करौली में स्थित है उक्त

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

आराजी का सायल वहिस्सा 1/2 खातेदार काश्तकार है जिस पर सायल काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। तथा 1/4 हिस्से का खातेदार रमेश पुत्र भोरीलाल है उक्त आराजी से सायल व उदयराज व रमेश के अलावा गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही उसके बावजूद भी गैरसायलान सायल को हैरान परेशान करते रहते है तथा सायल की आराजी खं0 नं0 757 पर कब्जा करने पर उतारू है

गैरसायलान लठैत मुठमर्द तथा गिरोह बंध व्यक्ति है। जिन्होने एक गिरोह गठित कर रखा है तथा वे येन केन प्रकारेन सायल व गरीब व्यक्तियो को हैरान परेशान कर उनकी जमीन जायदाद को छीनकर उन पर कब्जा करने पर उतारू रहते है।

बाका दिनांक 02.05.2025 को सुबह करीब 10 बजे का है कि सायल अपने खेत खंसरा नं0 757 रकवा 14 ऐयर गैर मुमकिन कुआ ग्राम अनन्तपुरा कि देखभाल कर रहा था तो वहॉ पर गैरसायलान एकराय होकर हाथो में लाठी, डण्डा लेकर आ गये तथा आराजी की नाप करने लगे। वादी द्वारा मना किया तो कहने लगे हम तो इसमें होकर रास्ता बनवायेगें इस पर सायल द्वारा कहा कि उक्त आराजी मेरी है उदयराज व रमेश ने अपने हिस्से पर बाउन्डी कर निर्माण कर रखा है तुम मेरे हिस्से में होकर कैसे रास्ता बना सकते हो इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे कि हम तो इस पर कब्जा करके रहेगे तथा रास्ता बनाकर रहेगें तथा तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुम्हारी समस्त आराजी पर कब्जा कर गॉव से भगा देगे। इस पर सायल द्वारा गॉव के गणमान्य व्यक्तियों से गैरसायलान को समझाने व समझवाने का प्रयास किया मगर वो किसी की एक मानने को तैयार नही है। तथा अपनी हठधर्मिता पर कायम है इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तथा सायल की आराजी से सायल को बेदखल कर कब्जा कर लिया तथा रास्ता का निर्माण कर लिया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। प्राईमा फेसी केश सायल के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गैरसायल को ताफैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम अनन्तपुरा तह0 टोडाभीम जिला करौली की आराजी ख0नं0 694 रकवा 0.18 है0, ख0नं0 697 रकवा 0.05 है0, ख0नं0 722 रकवा 0.24 है0, ख0नं0 142 रकवा 0.38 है0, ख0नं0 752 रकवा 0.18 है0, ख0नं0 753 रकवा 0.10 है0, ख0नं0 757 रकवा 0.14 है0, गैर मु0 कुआ ख0नं0 766 रकवा 0.14 है0, ख0नं0 775 रकवा 0.05 है0, ख0नं0 776 रकवा 0.50 है0, ख0नं0 776/1010 रकवा 0.07 है0, ख0नं0 779 रकवा 0.07 है0 गैर मु0 रास्ता, ख0नं0 783 रकवा 0.25 है0 कुल किता 13 कुल रकवा 2.35 है0 ग्राम अनन्तपुरा पं0 हं0 भजेडा में तह0 टोडाभीम में सायल के हिस्से व कब्जे में मजाहमत मदाखलत नही करे, सायल को बेदखल कर स्वयं कब्जा नही करे, आराजी को खुर्द बुर्द नही करे, आराजी को नाकाबिज काश्त नही बनावे, सायल की आराजी खं0 नं0 757 रकवा 14 ऐयर गैर मुमकिन कुआ की भूमि में होकर रास्ते का निर्माण नही करे ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे, ना किसी अन्य से करावे, जिससे हकूक सायल पर विपरीत प्रभाव पडे। मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकतम तथ्यो को अस्वीकार किया तथा खसरा नम्बर पर कोई भी कब्जा काश्त सायल का किसी भी प्रकार का नही है। बल्कि उक्त खसरा नम्बर को गील्या, उदयराज, रमेश ने दिनांक 08.06.1998 को अनन्तपुरा ग्राम को अनन्तुपरा के पंच–पटेलान व सम्मानीय व्यक्तियों के समक्ष आमरास्ते के लिये दे दिया था। जिसकी लिखापढी अनन्तुपरा गांव में आमसभा में पंच–पटोलानों के समक्ष एक सादा पन्ने पर दिनांक 08.06.1998 उदयराज, रमेश आदि की उपस्थिति में पंच–पटलानों के समक्ष कर दी गयी थी। जिस पर इन सभी के हस्ताक्षर मौजूद है तथा उसी दिन से उक्त खसरा नम्बर पर बने आम रास्ते में होकर सारे लोग आते–जाते है। उक्त खसरा नम्बर 757 पर गैरमुमकिन कुआं अंकित है लेकिन उक्त भूमि अनन्तुपरा के बीचो–बीच होकर स्थित है। जिसके चारो तरफ आबादी बसी हुई है। तथा आवासीय मकान व दुकान भी बने हुये है। तथा अनन्तुपरा गांव को अलोट राशन की दुकान जो अलोट है उसको जाने के लिये भी यही एक मात्र

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रास्ता है। खरा नम्बर 757 में जो आम रास्ता बना हुआ है। जो सायल व सायल के परिवारजनों द्वारा आम रास्ते के लिये अनन्तुपरा को दी गयी है। उस पर सरकार द्वारा सरकारी कोष से सन 2008,2016 व 2024 में ग्रेवल रोड, सीसी रोड, व टाइल्स रोड बनाया गया है। तथा उक्त सडक को पटवारी हल्का द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। खसरा नम्बर 757 रकबा 0.14 है0 गैरमुमकिन कुआ जो वर्तमकान में आम रास्ता अनन्तपुरा मे बना हुआ है।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी उस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1.प्रथम दृष्टया प्रकरणः– प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे ग्राम अनन्तपुरा के खाता संख्या 11 सम्वत 2075–2078 ख.नं0 694 रकवा 0.18 है0, ख0नं0 697 रकवा 0.05 है0, ख0नं0 722 रकवा 0.24 है0, ख0नं0 742 हरकवा 0.38 है0, ख0नं0 752 रकवा 0.18 है0, ख0नं0 753 रकवा 0.10 है0, ख0नं0 757 रकवा 0.14 है0, गैर मु0 कुआ ख0नं0 766 रकवा 0.14 है0, ख0नं0 775 रकवा 0.05 है0, ख0नं0 776 रकवा 0.50 है0, ख0नं0 776/1010 रकवा 0.07 है0, ख0नं0 779 रकवा 0.07 है0 गैर मु0 रास्ता, ख0नं0 783 रकवा 0.25 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.35 है0 प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादी खातेदार है। अतः न्यायहित में प्रकरण की वस्तुस्थिति में अन्तरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकाराने के पक्ष में सिद्ध होता है।

2.सुविधा का संतुलनः– पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्ष के पक्ष मे साबित है।

3.अपूर्तनीय क्षतिः– प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि उभयपक्ष को पाबन्द नही किया जाता है तो उभयपक्ष को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

आदेश

अतः फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम अनन्तपुरा तहसील टोडाभीम के ख.नं0 694 रकवा 0.18 है0, ख0नं0 697 रकवा 0.05 है0, ख0नं0 722 रकवा 0.24 है0, ख0नं0 742 हरकवा 0.38 है0, ख0नं0 752 रकवा 0.18 है0, ख0नं0 753 रकवा 0.10 है0, ख0नं0 757 रकवा 0.14 है0, गैर मु0 कुआ ख0नं0 766 रकवा 0.14 है0, ख0नं0 775 रकवा 0.05 है0, ख0नं0 776 रकवा 0.50 है0, ख0नं0 776/1010 रकवा 0.07 है0, ख0नं0 779 रकवा 0.07 है0 गैर मु0 रास्ता, ख0नं0 783 रकवा 0.25 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 2.35 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 उभयपक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 13.05.2025 को ता फैसला कन्फर्म किया जाता है विवादग्रस्त आराजी ख0न0 757/0.14 है0 ग्राम अनन्तपुरा तहसील टोडाभीम में सायल के हिस्से तक मजाहमत मदाखलत नही करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में उभयपक्षकाराण के सामने लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली